रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1975/आषाढ़ 7, 1897
No. 175] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1975/ASADHA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 28th June 1975

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 60-Customs, dated the 11th June, 1975, namely:—

In the Schedule below the said notification, after item 5 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"6. Spare parts of patrol crafts."

[No. 70/F. No. 370/57/74-Cus.I]

B. C. RASTOGI, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 28 जून, 1975

सा०का०नि० 364(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर, पर, कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 70-सीमालशुल्क, तारीख 11 जून, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में, मद 5 और उस से सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" 6. गश्ती यानों के स्पेयर पुर्जे।"

[सं० 70 फा० सं० 370/57/74-सीमाशुल्क-I]

बी० सी० रस्तोगी उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975